

अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

(U/s 144 Cr.P.C.)

वाद संख्या-92/2021

छोटू मोदक,
पिता:-स्व० ईश्वरी मोदक,
निवासी:-वार्ड नं० 02, शमशान
काली मंदिर के निकट,
पो०+थाना-चक्रधरपुर,
जिला-पश्चिमी सिंहभूम।

- बनाम -

देवेन्द्र मण्डल,
पिता-स्व० आदित्य मण्डल,
निवासी:-पुराना बस्ती वार्ड
नं० 01, चक्रधरपुर,
पो०+थाना-चक्रधरपुर,
जिला-पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी ताशेख सहित
29.10.2021	<p>आवेदक छोटू मोदक, पिता-स्व० ईश्वरी मोदक, निवासी-वार्ड नं०-02, शमशान काली मंदिर के निकट, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम द्वारा आवेदन पत्र दाखिल कर देवेन्द्र मण्डल, पिता-स्व० आदित्य मण्डल, निवासी-पुरानी बस्ती, वार्ड नं०-01, चक्रधरपुर, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के तहत मुकदमा दायर करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र में उनके द्वारा बताया गया है कि मौजा-वार्ड नं०-09(पुराना), चक्रधरपुर, खाता नं०-168, प्लॉट नं०-24 एवं 25, रकवा क्रमशः-0.09 ए० एवं 0.07 ए०, कुल रकवा-0.16 ए० भूमि दलील संख्या-2414, दिनांक-01.07.1981 द्वारा क्रय किया गया है, जिसका नामांतरण भी आनन्द मोदक के नाम से हो गया है। प्रथम पक्ष सपरिवार उक्त भूमि पर घर बनाकर शांतिपूर्वक रह रहे हैं एवं उक्त भूमि पर उनके द्वारा एक दुकान भी बनाया गया है। जिससे उनका जीवन यापन भी हो रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उनके कारोबार से जलते हैं एवं गलत निगाह रखते हैं। बरसात के मौसम में द्वितीय पक्ष द्वारा उनके घर के सामने खाली जगह पर बालू एवं मकान बनाने का सामग्री गिरा दिया गया, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने पर दुकान में आए ग्राहक के सामने वे ऊँची आवाज में गाली-गलौज करते हुए उनको अपमानित किया गया साथ ही उनके घर के सामने का रास्ता अवरुद्ध करते हुए चाहरदिवारी का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया गया। आवेदक का कहना है कि उनके परिवार के आने-जाने के लिए एक मात्र रास्ता को द्वितीय पक्ष द्वारा जाम किये जाने के कारण उनको आने-जाने में कठिनाई हो रही है। उनके द्वारा दलील सं०-2414, दिनांक-01.07.1981 में दिये गये शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष सबल एवं आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, जिस कारण उनके द्वारा कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए चारदिवारी का निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण उनके परिवार को आने-जाने एवं आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत एवं अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निमित्त Cr. P.C. की धारा-144 द०प्र०सं० के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकन से न्यायालय सहमत है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा चारदिवारी का निर्माण कार्य जारी रहने से विवादित स्थल पर शांति व्यवस्था/विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतएव शांति व्यवस्था/विधि व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त Cr. P.C. की धारा-144 द०प्र०सं०</p>	

A


के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद सं०-92/2021 प्रारंभ की गयी है साथ ही उभय पक्षों को उक्त भूमि पर जाने एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने पर सख्त निषेध करता हूँ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के साथ-साथ उभय पक्ष को भी सुना। इस विवाद के संबंध में अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से विवादित भूमि का सीमांकन कराया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक: 985, दिनांक-09.09.2021 द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अमीन के सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार रास बिहारी मंडल एवं अन्य के नाम पर खाता सं०-168, प्लॉट सं०-24 एवं 25, कुल रकवा-0.16 ए० भूमि का सीमांकन उनके द्वारा किया गया। सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि पर देवेन्द्र मंडल द्वारा चारदिवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। देवेन्द्र मंडल खतियानी एवं पंजी-11 रैयत रास बिहारी मंडल का पोता है। देवेन्द्र मंडल द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य से छोटु मोदक को आपत्ति है। उनके द्वारा बताया गया है कि स्थल जाँच में दोनों पक्षों के बीच विवाद पाया गया। अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन में बताया गया है कि नगर पालिका, चक्रधरपुर, वार्ड नं० 09, खाता सं०-168, प्लॉट सं०-24 एवं 25, रकवा-0.16 ए०, भूमि का सीमांकन उनके द्वारा अगल-बगल पड़ोसी रैयतों की उपस्थिति में किया गया। सीमांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन एवं ट्रेस नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्लॉट सं०-280 जो द्वितीय पक्ष का जमीन है, उस जमीन के उत्तरी कोना में 5'6" (237 वर्गकडी) जमीन पूर्व से ही प्रथम पक्ष द्वारा कब्जा किया गया है।

बहस के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया है कि प्रथम पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा खाता नं०-168, प्लॉट नं०-24 एवं 25, रकवा-16 डि० भूमि पर चारदिवारी का निर्माण किया जा रहा है, जो निराधार है। उनके द्वारा मौजा-वार्ड नं० 08, खाता नं०-173, प्लॉट नं०-280 का घेराबन्दी किया जा रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा ही उनके भूमि का अतिक्रमण किया गया है।

बहस के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया है कि प्रथम पक्ष को आने-जाने के लिए उनके दुकान/घर के Front Side (पूर्व दिशा) से 2 फीट जमीन वे छोड़ने के लिए सहमत हैं। इस प्रकार प्रथम पक्ष द्वारा पूर्व से अतिक्रमण की गयी उनकी भूमि 5'6"+2' कुल 7'6" भूमि आने-जाने के लिए रास्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रथम पक्ष के घर का दरवाजा/गेट उत्तर दिशा में है, उसी दरवाजा/गेट से प्रथम पक्ष एवं उनके किरायेदार आना-जाना करते हैं। प्रथम पक्ष के घर का दरवाजा/गेट पूर्व दिशा की ओर नहीं है। बहस के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि प्रथम पक्ष का यह कहना कि उनको एवं उनके परिवार को आने-जाने का एक मात्र रास्ता जो पूरब दिशा की ओर है, जिससे वे सपरिवार आना-जाना करते हैं उनका यह कथन निराधार है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के साथ-साथ उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि द्वितीय पक्ष द्वारा रास्ता हेतु वे अपना निज जमीन छोड़ने हेतु सहमत हैं साथ ही दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान हो चुका है। अतएव इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।


अनुमंडल पदाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।